

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:- जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / ०९ / डी- १८३७

दिनांक:- १५/१०/०९

### कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की ५९ वीं बैठक दिनांक: ९.११.०९ को प्रातः ११.०० बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :—

क्र. सं	जो. नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.	५९.१		<p>प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित ५८वीं बैठक दिनांक ११.९.०९ के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन एवं ५२वीं से ५८वीं बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा</p>	<p><b>I.</b> प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित ५८वीं बैठक दिनांक ११.९.०९ के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।</p> <p><b>II.</b> प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की ५२वीं बैठक दिनांक १.६.०९ में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. प्रस्ताव संख्या ५२.६ के संदर्भ में उपायुक्त जौन १२ ने बताया की बढ़े हुये क्षेत्रफल को आरक्षित दर की दुगुनी कीमत पर लेने के संबंध में सहमति प्रदान करने हेतु आवंटियों को पत्र जारी कर दिया गया है। किन्तु सहमति अथवा असहमति प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार को प्रकरण बास्ते स्थीकृति भिजवाया गया है।</li> <li>ii. प्रस्ताव संख्या ५२.७(२) के संबंध में सूचना आयोग कार्यालय भवन हेतु प्रस्ताव की अनुपालना के ब्रम्म में जौन उपायुक्त-१ ने अवगत कराया कि संस्थानिक क्षेत्र में एक भूखण्ड के विवाद का निस्तारण हुआ है जिसमें से आवंटन किये जाने पर विद्वार किया जा सकता है। उपायुक्त ने बताया कि जो भूखण्ड निस्तारित हुआ था उस पर कोर्ट ने दिनांक २३.०७.०९ को स्थगन दे दिया है। उपायुक्त को निदेशित किया गया कि वे प्राथमिकता से रहे वेकेट कराने की कार्यवाही करे।</li> <li>iii. अनुपालना से शेष बिन्दुओं पर क्रियान्विति आगामी बैठक से पूर्व सुनिश्चित की जावे।</li> </ul> <p><b>III.</b> प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की ५३वीं बैठक दिनांक १८.६.०९ में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. प्रस्ताव संख्या ५३.२ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र ग्राम कानोता तहसील वस्सी के संबंध में यह निर्णय किया गया था कि प्रस्तावित भूमि का गू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र के स्थान पर संस्थानिक करवाया जावे जिसके लिए राज्य सरकार के आदेश दिनांक २५.२.०९ के अनुसरण में धारा २५(३)</li> </ul>

कृपया  
कृपया

व 25(2) की कार्यवाही की जावे। निदेशक (आयोजना) ने बताया कि उक्त भूमि का पीटी सर्वे/प्लानिंग हो चुकी है। पीडब्ल्यूसी की बैठक में अनुमोदन व राज्य सरकार से 25(3) की कार्यवाही करायी जानी है। उक्त कार्यवाही अविलम्ब कराये जाने के निर्देश दिये गये।

**IV. प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 57वीं बैठक दिनांक 28.08.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :-**

- i. प्रस्ताव संख्या 57:6 के सन्दर्भ में निदेशक अभियांत्रिकी को निर्देशित किया गया कि वे 15 दिवस में आवश्यक रूप से सीढ़ियों का निर्माण करवावे।
- ii. यक रूप से सीढ़ियों का निर्माण करवावे।
- iii. प्रस्ताव संख्या 57.7 के सन्दर्भ में अतिरिक्त निदेशक राजरख एवं सम्पत्ति निस्तारण को दुकान संख्या 3 व 4 को नीलामी की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
- iv. प्रस्ताव संख्या 57:8 गोविन्दपुरा करघनी योजना में आवंटी से भूखण्ड संख्या सी-255 के मूल दस्तावेज जमा करवाये जाकर 15 दिवस में विनिमय की गई भूमि का लीज ढीड जारी किया जावे।

**V. प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 58वीं बैठक दिनांक 11.9.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :-**

1. प्रस्ताव संख्या 58-5(1) के सन्दर्भ में विधानी शिक्षा समिति जयपुर के प्रकरण का पुनः परीक्षण कर उपायुक्त ने अवगत कराया कि संस्था को पूर्व में जविप्रा द्वारा 4410 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की जा चुकी है। अतः संस्था पुनः आवंटन की पात्रता नहीं रखती है।

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 19(5) एवं नगरीय विकास विभाग के परिपत्र कमांक: प 3(55)नविवि/3/2002 दिनांक 14.2.05 के विन्दु संख्या 6 के प्रावधानानुसार संस्था आवंटन की पात्रता नहीं रखने के कारण उसे तदनुसार जोन द्वारा सूचित किया जावे।

2. प्रस्ताव संख्या 58-5(6) के सन्दर्भ में सज्य शिक्षा समिति के प्रकरण का पुनः परीक्षण कर उपायुक्त ने अवगत कराया कि संस्था को पूर्व में जविप्रा द्वारा 6133 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की जा चुकी है। अतः संस्था पुनः आवंटन की पात्रता नहीं रखती है।

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण)

			<p>नियम 1974 के नियम 19(5) एवं नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक: प. 3(55)नविदि/3/2002 दिनांक 14.2.05 के बिन्दु संख्या 6 के प्रावधानानुसार संस्था आवंटन की पात्रता नहीं रखने के कारण उसे तदानुसार जोन द्वारा सूचित किया जावे।</p> <p>3. प्रस्ताव संख्या 58-5(9) के सन्दर्भ में भारतीय सामाजिक विकास समिति के प्रकरण का पुनः परीक्षण कर उपायुक्त ने अवगत कराया कि संस्था को पूर्व में जविप्रा द्वारा 4180 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की जा चुकी है। अतः संस्था पुनः आवंटन की पात्रता नहीं रखती है।</p> <p>भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 19(5) एवं नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक: प. 3(55)नविदि/3/2002 दिनांक 14.2.05 के बिन्दु संख्या 6 के प्रावधानानुसार संस्था आवंटन की पात्रता नहीं रखने के कारण उसे तदानुसार जोन द्वारा सूचित किया जावे।</p>	
2.	7	59.2	गोविन्दपुरा करघनी में पुलीस थाना झोटवाडा को 'पुलिस चौकी करघनी' (भविष्य में थाना) स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर संस्था को गोविन्दपुरा करघनी दे ब्लॉक ए में 2299 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
3.	9	59.3	भूखण्ड संख्या डी-134 के बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन बाबत।	बढ़ा हुआ 72 वर्गमीटर क्षेत्रफल वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगनी कीमत पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
4.	10	59.4	जविप्रा की योजना पालडीमीणा में कार्नर भूखण्ड संख्या ई-231 के बढ़े क्षेत्रफल की राशि जमा करने बाबत।	बढ़ा हुआ 35.50 वर्गमीटर क्षेत्रफल वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगनी कीमत पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
5.	12	59.5	भूखण्ड संख्या ए.-72 आनंद लोक योजना क्षेत्रफल 162 व. मी. मौके पर उपलब्ध नहीं होने के कारण बदले में अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत।	पूर्व में आवंटित भूखण्ड सं. बी-102 को निरस्त करने एवं भूखण्ड सं. ए-72 आनंदलोक के स्थान पर भूखण्ड सं. ए-87 क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर विनिमय का निर्णय लिया गया।
6.	12	59.6	भूखण्ड संख्या 573 आनंद लोक फेज-द्वितीय योजना क्षेत्रफल 45.00 व.मी. का क्षेत्रफल बढ़कर 66.32 वर्गमीटर हो जाने के कारण अन्य भूखण्ड विनिमय में दिये जाने बाबत।	भूखण्ड संख्या 573 आनंद लोक फेज-द्वितीय योजना क्षेत्रफल 45.00 व.मी. के स्थान पर भूखण्ड सं. 548, 556, 571, 594, 596 व 608 में से कोई एक भूखण्ड जरिये लॉटरी विनिमय का निर्णय लिया गया।
7.	12	59.7	भूखण्ड सं. सी-122 आनंद लोक योजना क्षेत्रफल 252.00	भूखण्ड सं. सी-122 आनंद लोक योजना क्षेत्रफल 252 व.मी. के स्थान पर सी-43 क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर

			व.मी. का क्षेत्रफल बढ़कर 410.00 वर्गमीटर हो जाने के कारण अन्य भूखण्ड विनिमय में दिये जाने बाबत।	विनिमय का निर्णय लिया गया।
8.	13	59:8	कीर्ति चक्र धारक शहीद स्व. श्री रामस्वरूप गुर्जर की धर्मपत्नि श्रीमती सरिता को आवासीय भूखण्ड आवंटित करने हेतु।	पूर्व में जिन 3 गैलेन्ट्री आवार्ड धारक/स्वतन्त्रता सेनानी/अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को राज भवन योजना में 58वीं बैठक दिनांक 11.09.09 में भूखण्ड आवंटित किये गये थे उन्हे निरस्त किया जाने का निर्णय लिया गया। कीर्ति चक्रधारक शहीद स्व. श्री रामस्वरूप गुर्जर की धर्मपत्नि श्रीमती सरिता एवं शौर्य चक्रधारक श्री नसीम अख्तर के प्रार्थना पत्र एलपीसी में विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्री राष्ट्रेश्वर चौधरी, श्रीमती अनिता दत्त, श्रीमती कृष्ण पुनिया, श्रीमती सरिता एवं श्री नसीम अख्तर को रामनगरिया विस्तार योजना में आरक्षित भूखण्डों में से प्रत्येक को 220 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया। राजस्थान नगर सुधार (शहीदी भूमि नियमारण) नियम 1974 के नियम 17 ए में वर्णित श्रेणी के आवेदकों के अतिरिक्त अन्य जो भी प्रार्थना पत्र आवंटन हेतु लम्बित है उन प्रार्थना पत्रों का नियमों के अन्तर्गत परीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे।
9.	12	59:9	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम को गोदाम निर्माण हेतु ग्राम बिहारीपुरा तहसील आमेर के खसरा नावर 375 में पूर्व में आवंटित 10 बीघा भूमि से लगती हुई 1.50 हेटो भूमि पूर्व की तरह डीएलसी दर के तीन गुणा दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।	प्रस्तावानुसार राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम को गोदाम निर्माण हेतु ग्राम बिहारीपुरा तहसील आमेर के खसरा नावर 375 में पूर्व में आवंटित 10 बीघा भूमि से लगती हुई 1.50 हेटो भूमि पूर्व की तरह डीएलसी दर के तीन गुणा दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
10.	14	59:10	रोहिणी नगर-तृतीय, योजना के भूखण्ड संख्या 1305 क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर के विनिमय में रोहिणी नगर-तृतीय योजना में ही भूखण्ड संख्या 1556 क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर को आवंटित किये जाने बाबत।	प्रस्तावानुसार भूखण्ड संख्या 1305 क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर के स्थान पर भूखण्ड संख्या 1556 क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर को विनागाय करने का निर्णय लिया गया।

नोट:-जो भूखण्ड उक्तानुसार विनिमय के पश्चात रिक्त उपलब्ध हो गये हैं। संबंधित उपायुक्त उक्त भूखण्डों को नियमानुसार निलाग/आवंटन कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। नोलेज सिटी (उत्तर एवं दक्षिण) एवं साईंस टेक सिटी योजना की विस्तृत प्लानिंग यथा संस्थाओं को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय आदि के लिये वाचित क्षेत्रफल की गूमि/भूखण्ड व सड़कों का सृजन कर शीघ्र रिपोर्ट पेश करने के निर्देश निदेशक आयोजना को आयुक्त द्वारा दिये गये।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।

पृष्ठ १८  
श्रीति. भद्रस्य सविव  
एवं  
ज. अतिरिक्त आयुक्त (इल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी रायिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी रायिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
3. जिला कलक्टर, जयपुर
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
5. मुख्य अधियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
6. मुख्य अधियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
7. मुख्य अधियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
8. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
9. निदेशक(वित्त / अभियोजना), जविप्रा, जयपुर
10. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
11. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सामाति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
12. उपायुक्त जोन-1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
13. जन सम्पर्क विशेषाधिकारी, जविप्रा, जयपुर
14. रक्षित पत्रावली

(५८) ✓  
सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)  
एवं  
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

## जयपुर विकारा प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 59-वीं बैठक दिनांक 9.11.09 में उपस्थित  
अधिकारियों की सूची:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. मे पद
1.	श्री सुधांश पंत आयुक्त, जविप्रा	अध्यक्ष
2.	श्रीमति गायत्री राठौड, सचिव	सदस्य
3.	श्री ओ.पी. दोराया, निदेशक (अभियांत्रिकी)	सदस्य
4.	श्री एच.एस.संचेती, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
5.	श्री भास्कर शर्मा निदेशक (वित्त)	सदस्य
6.	श्रीमति शूचि शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सो.)	सदस्य सचिव
7.	श्री जाकिर हुसेन, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व सम्पत्ति निस्तारण)	विशेष आमंत्रित
8.	श्री गिरीश पाराशार उपायुक्त जोन-5	विशेष आमंत्रित
9.	श्री हदेश शर्मा, उपायुक्त जोन-8	विशेष आमंत्रित
10.	श्री अनिल कुमार अग्रवाल, उपायुक्त जोन-9	विशेष आमंत्रित
11.	श्री ओकारमल उपायुक्त जोन-10	विशेष आमंत्रित
12.	श्री पुरुषोत्तम शर्मा, उपायुक्त जोन-12	विशेष आमंत्रित
13.	श्री प्रकाश चन्द शर्मा, उपायुक्त जोन-13	विशेष आमंत्रित
14.	श्री संजय जैन, उपायुक्त जोन-14	विशेष आमंत्रित